

अवकाश में होने / अग्रिम जमीनीय कार्य में व्यस्त होने / बार एसोसिएशन की प्राथमिकता से पत्रावली वास्ते 24/5/16 को पेश हो।
 दिनांक 17/5/16 को पेश हो।

27/05/16

पञ्जाबी राजस्व लोक अदालत व्याघ्र आयोग
 डार 2016 के तहत सुझाव - वादी/विवा
 गृहणित हुई। वादी/विवा के अधिवक्ता व
 उहिवादी हरमाम, राम चन्द व
 पेरैवार सुझाव उपस्थित।
 वाद पक्ष के संक्षेप में तथ्य इस
 प्रकार हैं कि राम चन्द व
 वादी/विवा के बेटे/बहन हनुम आजादी
 में वादी/विवा की पैतृक कृषि
 आजादी संख्या 587 खम्बा 0.38
 है। आजादी सं 588 खम्बा 0.22
 आ. सं 589 खम्बा 0.20 आ. सं
 590 खम्बा 0.05 आ. सं 591 खम्बा
 0.05 आ. सं 592 खम्बा 0.04 जेठु.
 यह आजादी सं 593 खम्बा
 0.30, आजादी सं 594 खम्बा 0.27
 कुल मिला 8 खम्बा 1.51 है।
 कृषि अधिमा सं 2054 में वादी/विवा
 व उहिवादी सं 1 के दादाजी व
 उहिवादी संख्या 2 के पिता के
 नाम पर राजस्व रेकर्ड में
 दर्ज थी। सन, 1998 में वादी/विवा
 व उहिवादी संख्या 2 के पिता
 का देहांत हो गया तथा रामा

अ.नि.
हरमाम

अ.नि.
रामचन्द्र

J.C. W
A.

1

